UPBS120006222021

**न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti**

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 485/2021

राजकुमार पाण्डेय बनाम शिव प्रसाद आदि

**18.10.2021**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6ग2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि गाटा सं० 66 रकबा 0.1990 हे० प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र क,ख,अ,ब एवं उसमें स्थित निर्माण के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 11ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 12ग1, नकल खसरा कागज सं० 13ग1, छायाप्रति राजस्व मानचित्र कागज सं० 13ग1 दाखिल किया गया है। खसरा एवं खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि गाटा 66 रकबा 0.1990 हे० वादी एवं प्रतिवादी द्वितीय वर्ग के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा प्रतिवादी द्वितीय वर्ग को मात्र औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अन्यथा वादी के दावे का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

**आदेश**

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो, तब तक प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि विवादित भूमि गाटा सं० 66 रकबा 0.1990 हे० (राजस्व मानचित्र के अनुसार जहां भी स्थित हो), में न तो कोई निर्माण करे तथा न ही वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप करें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन अविलम्ब करे। अनुपालन न करने की स्थिति में उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 02.11.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2**

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8ग2 प्रतिवादी पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 9ग2**

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 9ग2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 9ग2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करें।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।